

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्री मोहन

बनाम राजस्थान राज्य

धारा 88, 89, 188 RTI / प्रा040 / अपील

प्र0सं0 176 / 13

बाद जॉच वाद / प्रा040 / अपील प्राप्त हुई, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को तलवाने के अनुसार जारी की जाकर पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 12-12-13 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

12-12-2013 पत्रावली पेश हुयी उपखण्ड उपास्थित
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे
/अवकाश में है। पत्रावली साविक आ
में दिनांक 2-1-14 को पेश हो।

आदेश से रीडर

03-01-2014 पत्रावली पेश हुयी वादी आयेवक्ता
उपास्थित प्रतिवादी के जवाब हेतु
दिनांक 11-2-2014 को पेश हो।

11-2-2014 पत्रावली पेश हुयी उपखण्ड उपास्थित
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे
/अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश
में दिनांक 22-4-2014 को पेश हो।

आदेश से रीडर

22-4-14 पत्रावली पेश हुयी उपखण्ड उपास्थित
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे
/अवकाश में है। पत्रावली साविक आ
में दिनांक 28-5-14 को पेश हो।

आदेश से रीडर

१२.२५ पत्रावली पेश । वादी अधिवक्ता उपर,
पत्रावली लासिउ आदेश मे डिमांड १५-१२-२५ को
पेश हो

[Signature]

१५.२५ पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित । चेंचोबार् सरदार उपस्थित
पत्रावली स्थापना हेतु डिमांड २३-१२-२५
को पेश हो

[Signature]
उपस्थित अधिकारी
नीलवावा

२३.१२ पत्रावली पेश हुई । वादी अधिवक्ता उपस्थित।
चेंचोबार् सरदार उपस्थित। स्थापना प्रतिकारी कायदा
पेश करना चाहते हैं। कायदा मिला जाता है पत्रावली
दिनांक २७.१२.२५ को पेश हो

[Signature]
उपस्थित अधिकारी
नीलवावा

२७.१२ पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता
को तीन बार आवाज लगायी गयी परन्तु उपस्थित
नहीं हुए। अतः वादी वा वाद पत्र को फल व
स्थायी निवेदाणा अलग दिनांक ४४, ४९, १४४
व १२३ वाकस्थान इत्यादारी अधिनियम वादी
की अदम लाजरी व वादी अधिवक्ता की
अदम पेशी मे उपस्थित बिना जानाहो पत्रावली
फैशन सुनार हीडर मन्कर से उमलो

[Signature]
उपस्थित अधिकारी
नीलवावा